(17)
(3)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद सं0–03/2014–15

अंचल अधिकारी, रानीश्वर वनाम चीतु मंडल

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25.7.18	**आदेश** प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–03/17–18 अंचल अधिकारी रानीश्वर के द्वारा चीतु मंडल, ग्रा0– नान्दना, अंचल – रानीश्वर के नामान्तरण वाद सं0–62/11–12 के विरुद्ध दायर किया गया है। अंचल अधिकारी रानीश्वर के पत्रांक 641/रा0, दिनांक 25.09.17 के द्वारा श्री चीतु मंडल पिता– श्रीपदो मंडल ग्रा0– नान्दना, अंचल रानीश्वर जिला दुमका का दाखिल खारिज वाद सं0 62/11–12 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि मौजा नान्दना के दाग सं0 236, 237, 304, 306, 310, 318, 311,एवं 312 कुल रकवा 9 बीघा 7 कट्ठा 3 धूर जमीन को डीड सं0 707 दिनांक 25.04.1957 में श्रीपदो मंडल वो संतोष मंडल पिता स्व0 हड़ीरामं मंडल वो कंचन मंडल वो नारायण मंडल पिता– द्विजपद मंडल के नाम दर्ज है। प्रश्नगत जमीन को श्री नीलकंठ साहा ने अपने हिस्से का जमीन चीतु मंडल को डीड सं0 939 दिनांक 24.05.2001 के द्वारा 1 बीघा 1 कट्ठा जमीन विक्रय किया है परन्तु चीतु मंडल के द्वारा कुल 9 बीघा 7 कट्ठा 3 धूर जमीन गलत तरीका से अपने नाम से नामान्तरण करा लिया है। अंचल अधिकारी रानीश्वर के द्वारा श्री चीतु मंडल के दाखिल खारिज वाद सं0 62/11–12 को रद्द करने हेतु अनुशंसा की गई है। मैने विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अंचल अधिकारी, रानीश्वर के पत्रांक 641/रा0, दिनांक 25.09.17 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि श्री चीतु मंडल द्वारा कुल रकवा 9 बीघा 7 कट्ठा 3 धूर जमीन नामान्तरण करने हेतु आवेदन दिया गया था जो गलत है। अतः अंचलाधिकारी रानीश्वर के नामान्तरण वाद सं0 62/11–12 में दिनांक 25.11.11 को पारित आदेश को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	